राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 59/झु/1997-98

प्रमाणित किया जाता है कि सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था जयसिंहवास जिला झुन्झुनू का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक बीस माह अक्टूबर सन् एक हजार नौ सौ सतानवे को झुन्झुनू में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
झुन्झुनू (राज.)

फोटो स्टेट कापियर्स, झुन्झुनू

रजिस्टर्ड

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं, झुन्झुनू (राजस्थान)

क्रमांक : फा/संस्था रजि. 4110 झुन्झुनू, दिनांक 20/10/97

श्री सत्यपाल S/O श्री शंकरलाल
अध्यक्ष सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था
जयसिंहवास

विषय:-राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 59/झु/1997-98 दिनांक 20/10/97 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है। जिसके प्रावधानों के अनुसार आपकी प्रति वर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनाऐ भेजना जरूरी है :-

(1) संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिसको सौंपा गया है उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते पेशा की सूचना मय पद के।

(2) एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।

(3) संस्था के नियमों और विनियमों की एक तारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर इस कार्यालय को पहुंच जाना चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रवधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर ऐ अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक का हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध होने के पश्चात् वृत जारी रहती हैं, पचास रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत को गई सूची में या धारा 4 का के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों को या उनके किये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्ट या लोप करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।

नोट:-इस कर्यालय से भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन नं० एवं वर्ष अंकित करें।

संलग्न:-मूल प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रार संस्थाए
राजस्थान, झुन्झुनू

3 संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।

4 वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना सेवा मुक्त करना।

5 साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6 कार्य व्यवस्था हैतु उप समितियां बनाना।

7 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :

1 कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2 बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3 बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिपालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। विचारणीय विषय वहीं होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :

(अ) अध्यक्ष :

1 बैठकों की अध्यक्षता करना।

2 मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3 बैठक आहूत करना।

4 संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5 सविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(ब) उपाध्यक्ष :

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

(स) मन्त्री :

1 बैठकें आहूत करना। 2 कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

3 आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6 पत्र व्यवहार करना। 7 सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

(द) उप मन्त्री :

1 मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त काय संचालन करना।

2 अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

(य) कोषाध्यक्ष :

1 वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2 दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3 चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

1. मृत्यु होने पर 2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के बिपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जायेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8 साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9 साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे।
1 प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना 2 वार्षिक बजट पारित करना।
3 प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4 संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।)

10 साधारण सभा की बैठकें : 1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3 बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।
5 संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य जो भी से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मन्त्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11 कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य जो सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :—
1 अध्यक्ष—एक 2 ~~उपाध्यक्ष—एक~~ 3 मंत्री—एक ~~4 कोषाध्यक्ष—एक~~
5 सदस्य—~~तीन~~ दो
(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में......3......पदाधिकारी व......2......सदस्य कुल......5......सदस्य होंगे,

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन : 1 संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष को अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2 चुनाव प्रत्यक्ष/~~अप्रत्यक्ष~~ प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3 चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे
1 सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2 वार्षिक बजट तैयार करना।

Chdhry Sudershan Madhukar

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1 चन्दा 2 शुल्क 3 अनुदान 4 सहायता 5 राजकीय अनुदान

(क) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी।

(ख) अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकें।

1 अध्यक्ष......2000/-......रु.

2 मन्त्री......1000/-......रु.

3 कोषाध्यक्ष......500/-......रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रवन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रवन्धकारिणी द्वारा जी जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :

संस्था के सामने लेखों-जोखों का वार्षिक अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टेट एकाउन्टेन्ट से कराया जावेगा।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन :

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे-जोखे का निरीक्षण :

रजिस्ट्रार संस्थाएं झुन्झुनू को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

21. वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च होगा। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) सरस्वती विद्या मन्दिर ......समिति/सोसाइटी/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक: 59/झु/1997-98
2. संस्था का नाम: सरस्वती विद्या मन्दिर संस्थान, जयपुर
3. ... : विधान (नियमावली)
4. ... : 2220
5. ... : 20/10/97
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार संस्थाएं (...) रजिस्ट्रार संस्थाएं

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

विधान (नियमावली

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम उपकारी विद्या मन्दिर समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा। पो० लोटिया वाया ... चिड़ावा जिला झुं

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय उपकारी विद्या मन्दिर ग्रा. जयसिंहवास पोस्ट लोटिया वाया ... है तथा इसका कार्यक्षेत्र झुन्झुनू जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3 संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1 प्राइमरी से लेकर सैकण्डरी तक की शिक्षा का प्रचार

2 शिक्षित बेरोजगारों में कमी लाना

3 केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा घोषित कार्यक्रमों में सहायता

4 भारतीय संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रयास

5 अशिक्षित जनता में नैतिक शक्ति को जागृत करना

6

7

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4 सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1–संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2–बालिग हों।

3–पागल, दिवालिये न हों।

4–संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5–संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5 सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :—

1–संरक्षक

2–विशिष्ठ

3–सम्माननीय

4–साधारण ✓

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6 सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।

1–संरक्षक	राशि..........—..........	वार्षिक/आजन्म
2–विशिष्ठ	राशि..........—..........	वार्षिक/आजन्म
3–सम्माननीय	राशि..........—..........	वार्षिक
4–साधारण	राशि.......151/-..........	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु..........—..........की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है एस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं—

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	श्री सत्यपाल S/ श्री शेकरलाल	व्यापारी	गांव हुकमपुरा पो. मालकेड़ा जि. झुंझुनू	Shahiwal
2	श्री माडूराम S/ श्री जसूराम	मोची	मु. पो. सिंघाना जि. झुंझुनू	Maduram
3	श्री सुरेश कुमार S/ श्री बनवारीलाल	बेरोजगार	गांव किठाना पो. काकोड़ा जि. झुंझुनू	Suresh
4	श्री श्यामपाल S/ श्री हरनन्दराम	कृषि	,,	श्यामपाल
5	श्री अमरसिंह S/ श्री छुकलराम	कृषि	गांव मोसिया ... पो. मोसिया जि. झुंझुनू	अमरसिंह
6	श्री महेन्द्रसिंह S/ श्री महावीरसिंह	व्यापारी	गांव ढेहड़ो कोठाणी पो. काकोड़ा जि. झुंझुनू	महेन्द्रसिंह
7	श्री रामस्वरूप S/ श्री जगनारायण	(व्यापारी)	गांव - [illegible] पो. लोटिया जि. झुंझुनू	रामस्वरूप
8	श्री महेन्द्रसिंह S/ श्री माडूराम	सैनिक (कृषि)	गांव ढेहड़ो कोठाणी पो. काकोड़ा जि. झुंझुनू	महेन्द्रसिंह
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक: 59/झु/1997-98
2. संस्था का नाम सरस्वती विद्या मन्दिर सरस्वती नगर विद्यालय
3. प्रलेख का नाम संघ विधान-पत्र
4. दस्तावेज की संख्या 2 पेज
5. दिनांक 20/10/97
6. हस्ताक्षर [illegible]

रजिस्ट्रार संस्थायें
झुंझुनू (राज०)

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिलिपि है।
[illegible] करने वाले के — [signature]
[illegible] वाले के — [signature]
नकल हेतु प्रार्थना पत्र देने की दि० 20-10-97
नकल तैयार करने की दि० 13-1-98
नकल देने की दिनांक 13-1-98

रजिस्ट्रार संस्थायें झुंझुनू

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

महेन्द्रसिंह
व्याख्याता
राज० सीनियर उ० मा० विद्यालय
झुंझुनू (राज०)
1 हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

[signature] 20/10/97
व्याख्याता
राज० सीनियर [illegible]
2 हस्ताक्षर [illegible] श्री अमरसिंह गांव मोसिया पो. [illegible] जि. झुंझुनू
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

Shahiwal	Suresh Kumar	Maduram
अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्यक्ष

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु

आवेदन–पत्र

सरस्वती विद्या मन्दिर समिति, सोसाईटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान–पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम सरस्वती विद्या मन्दिर उपरिहवाल समिति/सोसाइटी संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सरस्वती विद्या मन्दिर मु. जयसिंह वाला ... है। तथा इसका कार्यक्षेत्र झुंझुनू (जिले) क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

1. प्राईमरी से सीनियर सैकण्डरी तक शिक्षा का प्रसार।
2. शिक्षित बेरोजगारी में कमी लाना।
3. केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं में सहायता देना।
4. भारतीय संस्कृति के प्रसार व प्रचार हेतु प्रयास।
5. जनता में नैतिक ... जागृति।
6.
7.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है—

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	श्री सत्यपाल S/o श्री शंकरलाल	व्यापारी	गांव ... पो. ... जि. झुंझुनू	अध्यक्ष
2	श्री माडूराम S/o श्री जसुराम	नौकरी	गांव पो. ... जि. झुंझुनू राज.	कोषाध्यक्ष
3	श्री सुरेश कुमार S/o श्री बनवारीलाल	बेरोजगार	गांव ... पो. ...	मंत्री
4	श्री धर्मपाल S/o श्री हरनन्दराम	कृषि	गांव ... पो. ... जि. झुंझुनू	सदस्य
5	श्री अमरसिंह S/o श्री ... राम	कृषि	गांव ... पो. ... जि. झुंझुनू	सदस्य
6				
7				

रजि॰नं॰ 594/97-98

सरस्वती विद्या मन्दिर (संस्था) जयसिंह का बास (झुंझुनूँ)

संशोधित विधान पत्र

साधारण सभा की बैठक दिनांक 26-5-2004 को संशोधित व जोड़े गये नये उद्देश्यों की सूचि निम्न है:-

संस्था के उद्देश्य :-

1- उच्च शिक्षा, बहुआयामी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकि शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना

2- बेसहारा, गरीब एवं परित्यक्त व्यक्तियों की सहायतार्थ केन्द्र स्थापित करना ।

3- विद्यालय संचालन के साथ छात्रों के रहने हेतु छात्रावास सुविधा उपलब्ध करना ।

4- वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान कर पुरूष व महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ।

5- पिछड़े वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्व रोजगार प्रशिक्षण के अन्तर्गत कार्यक्रम चलाना ।

6- स्वंय विद्यालय समिति का भवन तैयार करने, खेलकूद हेतु मैदान तैयार करने एवं खेलकूद सामान हेतु सरकार एवं सहयोग से कार्य को क्रियान्वित करना ।

31-5-2004
3-6-2004
3-6-2004

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

संस्था का कार्यभार :- दिनांक 19-7-2003 को हुऐ चुनाव में नव गठित प्रबन्धकारिणी की सूचि संलग्न है ।

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	मंत्री
Chadhy	madufy	Suresh

सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था, जयसिंहवास

रजि. न. :– 59/झुं /1997–98

दिनांक 13.06.2020 को हुये चुनाच में नवगठित प्रबन्ध कार्यकारिणी की सूची निम्न प्रकार से है :–

क्र. स.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री शंकर लाल	व्यापारी	हुकमा की ढाणी, सिंघाना , झुंझुनूं	अध्यक्ष
2	श्री माडुराम पुत्र श्री जसुराम	सेवानिवृत	मु. पो. – किढवाना, तहसिल – सूरजगढ, जिला – झुंझुनूं	कोषाध्यक्ष
3	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल	अध्यापक	खेदड़ो की ढाणी, पोस्ट काकोडा, सूरजगढ, झुझुनूं	मंत्री
4	श्री चेतन कुमार जैन पुत्र श्री शील कुमार जैन	व्यापारी	सी–स्कीम, मालवीय मार्ग जयपुर	उपाध्यक्ष
5	श्री अमर सिंह पुत्र श्री धुकलराम	कृषि	मु. भोभिया का बास पो. भोभिया, झुझुनूं	सदस्य
6	श्रीमति सुमन पत्नि श्री सुरेश कुमार	अध्यापिका	खेदड़ो की ढाणी, सूरजगढ, झुझुनूं	सदस्य
	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री जयनारायण	व्यापारी	मु. जयसिंहवास, पोस्ट लोटिया झुंझुनूं	सदस्य
8	श्रीमति सुशीला पत्नि श्री मनोज कुमार	अध्यापिका	खेदड़ो की ढाणी, पोस्ट – काकोडा, तहसिल – सूरजगढ, जिला – झुंझुनूं	सदस्य
9	श्री निहाल सिंह पुत्र श्री रामेश्वरलाल	कृषि	खेदड़ो की ढाणी, पोस्ट काकोडा, सूरजगढ, झुझुनूं	सदस्य
10	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री हरनन्दराम	कृषि	खेदड़ो की ढाणी, पोस्ट काकोडा, सूरजगढ, झुझुनूं	सदस्य

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष
सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था
जयसिंहवास (झुन्झुनू) राज.

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष
सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था
जयसिंहवास (झुन्झुनू) राज.

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष
सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था
जयसिंहवास (झुन्झुनू) राज.

1	श्रीमती मनोज पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार	अध्यापिका	खेदड़ो की ढाणी, पोस्ट काकोडा, सूरजगढ, झुझुनूं	सदस्य
12	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल	अध्यापक	खेदड़ो की ढाणी, पोस्ट काकोडा, सूरजगढ, झुझुनूं	सदस्य
13	श्रीमती भगवानी पत्नि श्री भागाराम	कृषि	खेदड़ो की ढाणी, पोस्ट काकोडा, सूरजगढ, झुझुनूं	सदस्य
14	श्रीमति सुनीता पत्नि श्री हरीश कुमार	चिकित्सक	गांव – रामनाथपुरा, पोस्ट – भोभिया, तहसिल – सूरजगढ, जिला – झुंझुनूं	सदस्य
15	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	नौकरी	शिक्षा विभाग झुंझनूं	पदेन सदस्य
16	प्रधानाचार्य	नौकरी	सरस्वती विद्या मन्दिर जयसिंहवास	पदेन सदस्य

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनूं
राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गये पत्र को कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ स. 07 तक उपलब्ध है जो कि प्रमाणित प्रति है। नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर
प्रमाणित प्रति दिनांक 20.8.2017
रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनूं

अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष
अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था जयसिंहवास (झुन्झुनू)	अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था जयसिंहवास (झुन्झुनू)	अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था जयसिंहवास (झुन्झुनू)

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष
सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था
जयसिंहवास (झुन्झुनू)